

UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ADVT. NO: A-3/E-1/2018 Date: 11/09/2018

U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Examination-2018

Date of Commencement of On-line Application: 11/09/2018

Last Date for Receipt of Examination Fee On-line
in the Bank: 08/10/2018

Last Date for On-line Submission of Application: 11/10/2018 SPECIAL NOTICE: (a) On-Line Applications will be accepted only when prescribed fee is deposited in the Bank upto prescribed last date for fee deposition. If the fee is deposited in Bank after the last date prescribed for fee deposition, the on-line application of the candidate will not be accepted and the fee deposited in the Bank will not be refunded in any condition. It will be responsibility of the candidates to deposit fee in the Bank upto the last date prescribed for fee deposition and to 'submit' the application upto the last date prescribed for submission of applications. It is also informed that less or more amount deposited in the form of examination fee shall not be refunded in any condition.

(b) In Online Application System, the candidates have to provide their Mobile No. and valid e-mail ID in prescribed column failing which their Basic Registration shall not be completed. All relevant informations/instructions shall be sent through SMS on that mobile and e-mail on their e-mail ID.

NECESSARY INFORMATION TO APPLICANTS FOR FILLING THEIR APPLICATIONS THROUGH ON-LINE

This advertisement is also available on the Commission's website http://uppsc.up.nic.in. The online application system is applicable for applying against this advertisement. Applications sent by any other mode shall not be entertained hence candidates are advised to apply On-line only. In connection with On-line application, candidates are advised to go through the instructions thoroughly given as under and apply accordingly:-

- 1. When the candidate clicks "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" on the Commission's website http://uppsc.up.nic.in the On-line advertisement shall be automatically displayed, wherein there shall be 3 parts as given below:
 - (i) User Instructions
 - (ii) View Advertisement
 - (iii) Apply

A list of all the advertisements will be displayed in which "On-line System" is applicable. The Instructions for filling "On-line form" have been given in User Instruction. The Candidates desirous to see the advertisement will have to click before 'View Advertisement' to which they are desirous to see, full advertisement will be displayed along with sample snapshots of ON-LINE Application Procedure. Click on "Apply" for On-line Application.

On-line application will be completed in three stages :

First Stage: On clicking "Apply", Candidate Registration will be displayed. Basic Registration form will be displayed on clicking the 'Candidate Registration' respective to Examination. After filling the Basic Registration form, the candidates must check all the informations filled by them. If any correction / modification is required, click on "Edit" button and ensure the required corrections / modifications. After being fully satisfied with all the informations filled, click on 'Submit Application'. Consequently, the registration of first stage shall be over. Thereafter "Print Registration Slip" shall be displayed and Print of Registration Slip must be taken by clicking on Print Registration Slip.

Second Stage: After the completion of the procedure of first stage, 'Fee to be deposited [in INR]' shall be displayed with caption "Click here to proceed for payment". After clicking the above caption of "Click here to proceed for payment", home page of State Bank MOPS (Multi Option Payment System) shall be displayed comprising of 03 modes of payment viz. (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS and (iii) OTHER PAYMENT MODES. After depositing the required fee by any one of the above prescribed modes, "Payment Acknowledgement Receipt (PAR)" shall be displayed along with detail of fee deposition, the print of which must be taken by clicking on "Print Payment Receipt."

Third Stage: On completion of the procedure of second stage, click on "Proceed for final submission of application form as a result of which 'format' shall be displayed. The candidates are required to enter all the required informations in the format. The photo and signature, duly scanned shall be uploaded also. The candidate should scan his/her photograph and signature in the prescribed size (the size will be mentioned at the specified space in the On-line application). This should also be kept in notice that the photo must be latest passport size. In case the photo and signature, scanned in the prescribed size, are not uploaded, then the On-line system will not accept it. The procedure related for scanning of the photo and signature is laid down in the **Appendix-1**. After filling in all entries in the format, the candidates

may click "PREVIEW" to see for themselves that all entries and informations are correctly entered and after satisfying themselves should click "Submit" button to forward the same to the Commission. It is essential that the candidate should fill all informations On-line correctly according to the instructions given and click the "Submit" button by the last date prescribed for submission of the application form. If the candidate does not click the "Submit" button, the ON-LINE application process shall not be completed finally and the candidate shall be accountable for this. After clicking the 'Submit' button, the candidate may take a print of the application to preserve it with them. In the event of any discrepancy, the candidate will be required to submit the said print in the office of the Commission, otherwise his/her request shall not be entertained. However it is clarified to the candidates that at the stage of preliminary examination the hard copy of the documents including their On-line Application should not be sent to the commission.

- 2. The application once submitted, will not to be allowed modified.
- **3. Application Fee:** In the ON-LINE Application process, after completing the procedure of first stage, Category wise prescribed examination fee is to be deposited as per instructions provided in second stage.

The prescribed fee of Preliminary examination for different categories is as under:-

- (i) Unreserved / Other Backward Class
- Exam fee Rs. 100/- + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 125/-
- (ii) Scheduled Caste / Scheduled Tribe

(iii) Handicapped

- Exam fee Rs. 40/- + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 65/-
- Exam fee NIL + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 25/-
- (iv)Dependents of the Freedom– According to their original category Fighters/Ex-Serviceman/Women
- 4. The Basic Registration of such candidates will not be accepted who have been debarred from U.P. Public Service Commission and their period of debarment has not been completed. In addition to above, the applications submitted without requisite informations regarding debarment, if it is found at any stage in future that the applications have been submitted concealing this fact, his/her candidature will be rejected at any stage and the commission will consider to debar them from all future examinations/selections including extension of debarment period. In this regard, if the claims of the candidates made in their On-line applications are not found true, they can be debarred not only from the examination in question but from all the future examinations and selections made by the commission also including other appropriate penalties.
- **5.** The U.P. Public Service Commission shall hold a Preliminary Examination at various Centres of the Districts mentioned in **Appendix-2** of this advertisement for selecting suitable candidates for admission to the U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Main (Written) Examination, 2018. The selection will be made on the basis of total marks obtained by the candidates in Main (written) examination and Interview. The Centre of Examination, decided by the Commission, will be intimated to the candidates by means of their e-Admit Card. The no. of Districts/centres may be increased/decreased according to final number of applications received in the office of the Commission.
- **6. Vacancies:** Presently the number of Vacancies are 610 which may be increase or decrease in exceptional circumstances on the request of the State Government. These Posts are—group "B", Gazetted, temporary but likely to be continued in future.

Vertical			Horizontal
Unreserved (General)	_	306	DFF – 12
OBC	-	164	Women – 122
SC	-	128	PH – 24
ST	_	12	(For differently abled persons) According to The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for physically Handicapped, dependents of freedom fighters and Exservicemen) Act 1993 (ammended) Act 2018 for differently abled persons 4% horrizontal reservation shall be permissible.

Note A: (1) The matter of reservation to the Differently Abled persons for selection to the aforesaid posts is under active consideration of the Hon'ble High Court pursuant to the order dated October 08, 2013 of the Hon'ble Supreme Court passed in Civil Appeal No. 9096 of 2013-Union of India Vs. National Federation of the Blind & Others.

(2) The vacancies for Differently Abled candidates may be kept in reserve till an appropriate decision is taken by the Hon'ble High Court and an appropriate Rules in this regard is framed and the same is communicated to the Government of U.P. for taking necessary action.

Note B: (1) The Candidates claiming the benefit of reservation/age relaxation must obtain, in support of their category a certificate issued by the competent authority on the proforma available on the Website & in this detailed advertisement (Appendix-3) and shall submit the same to the Commission when asked for (2) All Reserve Category candidates of U.P. must mention their Category / Sub Category in the Application Form. (3) Candidates claiming reservation/age relaxation in more than one categories will be entitled to only one concession whichever is more beneficial to them. (4) The Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Class and Dependents of Freedom Fighters and women candidates who are not the permanent resident of U.P. shall not be given the benefit of reservation. Such candidates shall be treated as the candidates of the unreserved (General) Category. In case of women candidates the caste certificate/ domicile certificate issued from Father side only be treated valid. It is mandatory for the candidates to enclose self attested copies of all marksheets and certificates alongwith the application forms of Main (Written) Examination in support of the claims made by them in their application forms of Preliminary Examination regarding eligibility and category/sub-category for the benefit of reservation failing which their claim as a reserve category candidate shall not be entertained.

- 7. Scale of Pay: 27700-770-35090-920-40450-1080-44770
- **8. Educational Qualification:** (A) Till Last Date for submitting the application, the Candidate must be a Bachelor of Laws of a University established by Law in U.P. or any other University of India recognised for this purpose by the Governor, Or (B) Must be an Advocate enrolled under the provisions of the Advocate Act 1961 or a Barrister of England or Northern Ireland or a Member Faculty of Advocates in Scotland and is entitled to practice in the Court or Courts subordinate thereto; (C) Must possess a thorough Knowledge of Hindi in Devnagri Script.
- **9. Age Limit:** A candidate for direct recruitment to the service must have attained the age of 22 years and must not have attained the age more than 35 years on the first day of July next following the year i.e. 01.07.2019. They must not have been born after 1st July, 1997 and not before 2nd July, 1984.

Provided that the upper age limit shall be higher by five years in the case of Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBC, Skilled players of U.P. i.e. they must not have been born before 02.07.1979. The upper age limit shall also be greater by 5 years for Ex-serviceman/Emergency Commissioned Officers/ Short Service Commissioned Officers/Commissioned Officers of U.P who have rendered atleast 5 years service in Army, but there shall be no reservation. No relaxation is admissible in upper age limit for D.F.F. Candidates. The upper age limit shall be greater by Fifteen years for Physically Handicapped candidates according to GO Dated 03.02.2008 i.e. they must not have born before 02.07.1969. Provided further that where a candidate was eligible in age to appear at the examination in the year 2017, he shall be deemed eligible in age i.e. they must not have been born after 01st July, 1996 and not before 02nd July, 1983 as per provision of the U.P. Judicial Service (Amendment), Rules 2003. The Govt. Employees are eligible to apply but no relaxation is admissible to them as per quisition. The maximum number of chances a candidate is permitted to take will be four in accordance with the provision of Rule-10 of "The U.P. Judicial Service (Amendment) Rules 2003 as per notification dated 19 March 2003.

"The Hon'ble Court has not adopted the (U.P. Recruitment to Service (Age Limit) (Tenth Amendment) Rules 2012 issued by Govt. of U.P. with regard to increase in the upper age limit from 35 years to 40 years.

10. Important Instructions: (1) Incomplete application and application without signature even if within time shall be rejected summarily. **(2)** Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who have not been released from Army but whose period of Army Service has been extended for rehabilitation, may also apply for this examination on the following condition in accordance with G.O.No.22/10/1976-Karmik-2/1985 dated 30-01-85 **(A)** Such Applicant will have to submit a certificate in this respect from the competent authority of Army, Navy, Air Force to the effect that their period of Service has been extended for rehabilitation and

no disciplinary action is pending against them. (B) Such Applicants will have to submit in due course a written undertaking with their application that in case they are selected for the post applied for, they will get themselves released immediately from the Army Service. The above facilities will not be admissible to Short Service Commissioned/Emergency Commissioned Officer If: (a) he gets permanent Commission in the Army or (b) Has been released from the Army on tendering resignation or (c) Has been released from the Army on grounds of misconduct or physical disability or on his own request and who gets gratuity. The candidates must possess all the requisite qualifications/eligibility conditions till the last date for submitting the applications. (3) Character: The Character of a candidate for recruitment to the service must be such as to render him suitable in opinion of the Governor in all respects for employment in the service. Persons dismissed from the service by the Union Government or a State Govt. or debarred from practice as an Advocate by the Bar Council of India or a State or convicted and sentenced for imprisonment on any offence under the Indian Penal Code or any other Law for the time being in force involving moral turpitude shall not be eligible for appointment to the Service. (4) Marital Status: A Male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service. (5) Physical Fitness: No Candidate shall be appointed to a post in the service unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment shall be required to pass an Examination by a Medical Board. (6) Only those candidates will be called for Main Examination (Written Examination) who obtain such minimum marks as may be fixed by the Commission for the purpose on the basis of preliminary exam. They will be required to fill up requisite form etc. determined by the Commission for main examination and will have to deposit fee also for main exam. Examination Fee for General, OBC of UP and candidates of other states Exam Fee Rs. 200/-+ Online Processing Fee Rs. 25/- = Rs. 225/- only and Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates of UP Exam Fee Rs. 80/- + Online processing Fee Rs. 25/- = Rs. 105/- The Candidates under Horizontal Reservation shall deposit fee according to their main category but Physically Handicapped Candidates will deposit only Rs. 25/- as on line processing fee. (7) The candidates will have to enclose self attested copies of marksheets, certificates and degree alongwith the application form of main examination in support of their claims of Educational Qualifications. If they do not enclose self attested certificates/documents in support of their claims, the applications shall be rejected. (8) All original certificates shall be verified at the time of interview. Candidates will also be required to furnish four passport size photographs, two unattested and two attested by their Head of Department or Head of the Institution where they have received education or by a Gazetted Officer at the time of Interview. (9) The candidates working in Central or State Govt. will have to produce No objection certificate from their Employer. (10) The Commission do not give any advice to the candidates regarding their eligibility. Therefore they should go through the advertisement carefully and apply for the post only when they are satisfied that they are eligible according to the terms and conditions of advertisement. They should also go through the plan of Examination printed at Appendix-4 and the syllabus of the Preliminary and Main (Written) examination printed as Appendix-5 of the advertisement. Fee will not be refunded in case of candidates being overage, underage, ineligible or rejected due to violation of rules or procedure. (11) The Commission may allow any candidate provisionally on summarily checking of application but in later stages if it is found that the candidate was not eligible or his/her application was not fit for admission or he/she should have been rejected at initial stage his/her candidature will be cancelled and his/her recommendation shall be withdrawn even if he/she has been recommended for appointment. (12) Malpractices i.e. copying in the Examination Hall Indiscipline, Misbehavior or canvassing is prohibited. Candidature of such candidates can be rejected by the Commission. (13) The candidates who qualify in the written examination shall have to appear compulsorily in Personality Test (Viva-voce). (14) In every correspondence with the Commission, the name of Examination. Advertisement No. Registration No. Name of Candidate, Date of Birth & Roll No. (If communicated) Should be mentioned. (15) The candidates for the main examination shall be declared successful in the ratio of 1:10 according to order of Hon'ble Supreme Court and for interview in the ratio of 1:3. (16) If a candidate gives such information which can not be substantiated by any certificate, he/she can be debarred for the next five years. (17) The date of birth of the candidates shall be admissible as entered in High School Certificate. The candidate will have to attach his/her High School or Equivalent Examination Certificate with the application

form of Main Examination. No other Certificate shall be acceptable for Date of Birth and if it is not attached with the application, it shall be rejected. (18) For the benefit of relaxation in upper age limit and exemption in exam fee, the Handicapped persons must produce a certificate of being handicapped in that Sub category on the prescribed proforma issued by prescribed Medical Officer/Specialist and counter signed by the Chief Medical Officer according to Rule 2 of U.P. Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependent of Freedom Fighters and Ex-Serviceman (Amendment) Act. 1997 read with G.O. dated 03 Feb., 2008). The Ex-Army personnels must be discharged from Army up to the last date prescribed for receipt of applications. (19) Date, time and venue etc. of examination along with Roll No. will be communicated to the candidates through e-Admit Cards. Candidates will have to appear at the centre/venue allotted to them by the Commission. No change in centre/venue is permissible and no application shall be entertained in this regard. (20) The application/ candidature will be rejected/cancelled if the application is not submitted on prescribed form, date of birth is not mentioned or wrong date of birth is mentioned, overage, under age, not fulfilling the minimum educational qualifications, applications received after last date and no signature under declaration in the format. (21) The candidates who are appearing in the Examination of essential qualification prescribed for the posts need not apply, because they are not eligible. (22) While filling the answer sheets, the candidates must use Black Ball Point Pen Only. Use of any other pen or pencil is strictly prohibited. (23) Candidates are directed to fill in all the entries correctly in the OMR Answer Sheet. In case of leaving them blank or filling them erroneously the candidate will be wholly responsible for the same & the commission may decide not to evaluate his/her OMR Answer Sheet. The informations filled in the Answer sheets must not be erased by whitener, blade or rubber etc. (24) Candidates shall be provided OMR answer sheets in duplicates i.e. original copy and candidate's copy. After completion of the examination, the candidates are required to hand over the original copy to the Invigilator and the candidate's copy to keep with them. (25) In the Preliminary Examination for the objective type Question papers, penalty (Negative Marking) shall be imposed for wrong answers given by the candidates which is as below:-(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answer happens to be correct and there will be same penalty as above for that question. (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question. (26) The minimum efficiency standard for S.C. & S.T. candidates is fixed 30% i.e. the Candidates of these Categories shall not be placed in the merit/select list if they have secured less than 30% marks in the Preliminary/Main examination. Similarly, the minimum efficiency standard for the candidates of other categories is fixed 40% i.e. such candidates shall not be placed in the merit/select list if they have secured less than 40% marks in the Preliminary/Main examination. All such candidates who have secured less marks than the marks of minimum efficiency standard as fixed by the Commission shall be treated disqualified.

GENERAL INSTRUCTIONS

- 1. In no circumstances, applications of any stage shall be accepted after the last prescribed date and time. Applications found without requisite informations and without photograph and signature, even when received in time, may be summarily rejected.
- 2. In the On-line system, the candidates must ensure that all the requisite informations have been duly filled and must click the submit Button by the last prescribed Date & Time. Candidates must take the Print and keep it safely. In any discrepancy, the candidates will have to produce the said print otherwise no request shall be entertained.
- **3.** Those candidates, willing to take the benefit of the reservation/ age relaxation must obtain a certificate, issued by the competent authority, in support of the reserved category, in the prescribed format printed in this detailed advertisement (**Appendix-3**) and submit the same to the Commission whenever required to do so. Those claiming more than one reservation/age relaxation will be given only one such concession, which will be more beneficial. The Candidates who are not originally domicile of U.P. belonging to SC, ST, O.B.C., dependents of freedom fighters, Ex-Service Men, Skilled Players, P.H. and women are not entitled to benefit of reservation/age relaxation. Such candidates will be treated as unreserved (General) candidates. In case of the women candidates, the domicile/caste certificate issued from father side will be treated valid.

- **4.** The Commission do not advise to candidates about their eligibility. Therefore, they should carefully read the advertisement and when satisfied about their eligibility as per conditions of the advertisement, only then apply. The candidates must possess all the requisite qualification till the last date for submitting the applications.
- **5.** In the category of dependents of the freedom fighters only sons, daughters, grandsons (Son's son/daughter's son) and grand daughters (son's daughter/daughter's daughter, married/unmarried) are covered. It is advised that the candidates of aforesaid category must obtain the reservation certificate from the District Magistrate in terms of Govt. Order No. 453/79-V-1-15-1(Ka)-14-2015, dated 07.4.2015 in the prescribed format and submit the same.
- 6. In the event of involvement of a candidate in the concealment of any important information, pendency of any case/criminal case, conviction, more than a husband or wife being alive, submission of facts in a distorted manner, malpractice, canvassing for candidature/selection etc., the Commission reserves the right to reject the candidature and debar him from appearing in the examination in question and in all other future examinations and selections.
- 7. In case the candidates feel any problem in the "On-line Application" they may get their problem resolved by contacting over phone or on Website clicking 'Contact us'.
- 8. The procedure relating to upload scanned photo and signature is given in **Appendix-1**. The name of Districts for Preliminary Examination are available in the advertisement in **Appendix-2** and proformae for reservation on **Appendix-3**. In the same way the plan of Examination is available on **Appendix-4** and syllabus for Preliminary Examination and Main Examination are available on **Appendix-5**.

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration for the candidates they are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows Information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number. Other Details of candidate

Other details of candidate show the information about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and physical deformity.

Education & Experience Details

It show educational and experience details of the candidate.

Candidate address photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidate. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that the candidate have mentioned on entry time if they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be Modified.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

All Notifications / Advertisements

ONLINE FORM SUBMISSION

- 1. Candidate Registration (FIRST STAGE)
- 2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)
- 3. Submit Application Form (THIRD STAGE)

APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status List of Applications Having Photo related Objections **Print Duplicate Registration Slip Print Detailed Application Form EXAMINATION SEGMENT** Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment] DOWNLOAD SEGMENT **Download Admit Card Download Interview Letter** Download Syllabus Know your Registration No. Click here to view Key Answer Sheet Regarding Application: 1. On clicking "View Application status" option in candidate Segment page you can see current status of candidate. 2. On clicking "Result" option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically. 3. "Interview/Exam Schedule" option in candidate Segment page candidate can see intervice and examination schedule details periodically. 4. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.

Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement after which the web-link will be disabled.

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signatue Space provided. Ensure that the signature is within the box,.

Appendix-1


5. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and

Admit Card using with some basic credential of candidate.

- 2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- 3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
- 4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. 5. If the size of the file is more than 50KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
- 6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- 7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- 8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-



Appendix-2

The names of the Districts where Preliminary Exam will be held is as followings:- Allahabad, Agra, Meerut and Lucknow.

Appendix-3

उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति

	पत्र
प्रमाणित किया जीता है कि श्री/श्रीमती/	′ कुमारी
सुपुत्र / सुपत्री श्री	निवासी ग्राम
तहसीलनगर	जिला
उत्तर प्रदेश राज्य की	जाति के व्यक्ति हैं जिसे
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा वि	के समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान
(अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 196	or के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी	
तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के	
ग्राम तहसील	
प्रान	
स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	पूरा नाम
मुहर	पद का नाम
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी	
	कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/	•
सुपुत्र / सुपत्री श्री	
तहसील	
जिला उत्तर प्रदे	
पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्त	:
अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े व	
(यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत म	
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/	•
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की उ	
सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जाति	
(संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित वि	
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों	•
(संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित क	·
माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के	
या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर	अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा
से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।	
शी / शीमनी / कमारी	
	तथा / अथवा
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील
	तहसील
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान	तहसील
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान दिनांक मुहर	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान दिनांक दिनांक मुहर जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान दिनांक मुहर जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी उठप्रठ के दिव्यांग व्यक्तिय	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर स्ताधार माम स्वाप्य सहता है। पूरा नाम स्वाप्य का नाम सिजस्ट्रेट/तहसीलदार हें के लिये प्रमाण-पत्र
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान दिनांक मुहर जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी उठप्रठ के दिव्यांग व्यक्तिय CERTIFICATE FOR PHYSICA	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण–पत्र ALLY HANDICAP OF U.P.
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान दिनांक मुहर जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी उ०प्र० के दिव्यांग व्यक्तिय CERTIFICATE FOR PHYSICA NAME & ADDRESS OF THE INSTITU	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षरपूरा नामपद का नाममिजस्ट्रेट / तहसीलदार के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान दिनांक मुहर जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी उ०प्र० के दिव्यांग व्यक्तिय CERTIFICATE FOR PHYSICA NAME & ADDRESS OF THE INSTITU	तहसील
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला में स्थान दिनांक मुहर जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी उ०प्र० के दिव्यांग व्यक्तिय CERTIFICATE FOR PHYSICA NAME & ADDRESS OF THE INSTITU Certificate No	तहसील
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर	तहसील
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर	तहसील
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर	तहसील
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S)
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S)
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S) of following category. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S) of following category. Arms. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S) of following category. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board.
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S) of following category. Arms. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. eft)
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S) of following category. Arms. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. eft)
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ते के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL ERTIFICATE on mark(S) of following category. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. eft) kness of grip (c) Ataxic
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ों के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL RRTIFICATE on mark(S) of following category. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. eft) kness of grip (c) Ataxic kness of grip (c) Ataxic
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ते के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL SRTIFICATE on mark(S) of following category. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. eft) kness of grip (c) Ataxic kness of stoop)
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ते के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL SRTIFICATE on mark(S) of following category. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. eft) kness of grip (c) Ataxic kness of stoop)
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम	तहसील सामान्यतया रहता है। हस्ताक्षर पूरा नाम पद का नाम मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ते के लिये प्रमाण—पत्र ALLY HANDICAP OF U.P. TE/HOSPITAL SRTIFICATE on mark(S) of following category. Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. eft) kness of grip (c) Ataxic kness of stoop)

(ii) PD-Partialy Deaf

(Delete tha category whichever is not applicable)

(i) D-Deaf

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not	(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)
likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/	राज्य सरकार की सेवाओं /पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के
is recommended after a period of	लिये प्रमाण-पत्र
year months.	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
3. Percentage of disability in his/her case is	आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्रीनिवासी (पूरा पता)
percent.	ने दिनांक से दिनांक तक
4. Sh./Smt./Kummeets the following	
physical requirements discharge of his/her duties:	में (क्रीड़ा / खेल – कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम)
(i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No	में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की
(ii) PP- can perform work by pulling and pushing. Yes/No	प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।
(iii) L-can perform work by lifting.	उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान
(iv) KC- can perform work by kneeling and crouching. Yes/No	प्राप्त किया गया।
	यह प्रमाण–पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार
(v) B-can perform work by bending. Yes/No	पर दिया गया है।
(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No	
(vii) ST- can perform work by standing. Yes/No	स्थान हस्ताक्षर
(viii) W-can perform work by walking. Yes/No	दिनांक नाम
(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No	पद
(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No	संस्था का नाम
(xi) RW- can perform work by reading and writing. Yes/No	पता
(Dr) (Dr) (Dr	मुहर
Member Member Chairperson	ुएरविकास क्यान किया है । नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये
Medical Board Medical Board Medical Board	हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
Countersigned by the	
Medical Superintendent/CMO/HQ	<u>प्रारूप-3</u>
Hospital (with seal)	(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से
Strike out which is not applicable.	अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों	विश्वविद्यालय का नाम
	राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये
और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार	प्रमाण-पत्र
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
<u>प्रमाण–पत्र</u>	आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्रीनिवास (पूरा नाम)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने
निवासी ग्राम—, तहसील—,	
नगर जिला	दिनांक तक (स्थान
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों	का नाम) में आयोजित अर्न्तविश्वविद्यालय
	(क्रीड़ा / खेल – कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में
और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में
हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र	स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ
(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा	स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूदवश्विकालय में उपलब्ध
अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त	रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
<u> </u>	i iawig w gibia na icai dai 21
•	
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।	स्थान हस्ताक्षर
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थानहस्ताक्षर दिनांक नाम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर दिनांक : पूरा नाम	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर दिनांक : पूरा नाम पदनाम	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर दिनांक : पूरा नाम पदनाम मृहर	स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर पद पद संस्था का नाम मुहर मुहर यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर पद पद पद संस्था का नाम मुहर मुहर चोट: यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर दिनांक गाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप–4
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थानहस्ताक्षरपदपदपदसंस्था का नामपुहरचोटः यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप—4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर पद पद पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप–4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर पद पद पद पद पहरा का नाम पहर नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप–4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर नाम पद स्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर नाम पद पद मुहर मुहर मुहर चोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	स्थान हस्ताक्षर नाम पद पद
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में माग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर पद त्वांक पप संस्था का नाम पुहर मुहर चोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक स्कूलों के नेशनल गेम्स की (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर नाम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में माग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर नाम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर नाम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) हस्ताक्षर हैं। स्थान : हस्ताक्षर पूरा नाम	स्थान हस्ताक्षर विनांक नाम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) हस्ताक्षर हैं। स्थान : हस्ताक्षर पूरा नाम	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा प्राफ्ण-4 पान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कृशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवास (पूरा नाम) मं स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक तक तक तक तक तक तक
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्टक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश पाज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान ज्यापत किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्टक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) हर्साक्षर हर्साक्षर हर्साक्षर हर्माक हर्माक हर्माक हर्माक हर्माक हर्माक हर्माक हरमाक हर्माक	स्थान हस्ताक्षर विनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप—4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्टक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में रक्तूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान जान स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्टक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) हरताक्षर के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उठप्रठ के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4 प्राराण-पत्र के फार्म-1 से 4 प्राराण-पत्र के जोर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी जात्माज पत्री जात्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान का हस्ताक्षर नाम	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में माग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से गान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : इस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में माग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से गान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से गान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की जोर से पान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की जोर से गान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की जोर से गान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की जोर से गान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की जोर से गान लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की जोर से पर विद्याल की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की जोर से पर विद्याल की स्कूल की जोर से पर विद्याल किल की स्कूल की जोर से पर विद्याल की सेवर सेवर सेवर सेवर सेवर सेवर सेवर सेवर
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) हरताक्षर के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उठप्रठ के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4 प्राराण-पत्र के फार्म-1 से 4 प्राराण-पत्र के जोर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी जात्माज पत्री जात्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान का हस्ताक्षर नाम	स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री में स्कूल में कक्षा निवास (पूरा नाम) के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्षीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से माग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से माग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से माग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर नाम पद सर्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उठप्रठ के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4 प्रारूप-1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुशारी जातमज / पत्नी / आत्मज श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक से दिनांक की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन / राष्ट्रीय ऐसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में माग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) हरताक्षर हैं। स्थान : हस्ताक्षर पूरा नाम पवनाम पुहर जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ०प्र० के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4 प्रारूप-1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पवों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी जातमज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा / खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन / राष्ट्रीय ऐसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम पद संस्था का नाम पद संस्था का नाम	स्थान हस्ताक्षर तिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप—4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तिव्या । उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान जाना) के प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण—पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उठप्रठ के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4 प्रारूप-1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुशारी जातमज / पत्नी / आत्मज श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक से दिनांक की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन / राष्ट्रीय ऐसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर	स्थान हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्राच्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्राच्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्राच्य स्तर की आर से राष्ट्रीय खेल-कूद में माग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की और से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की और से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की और से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की और से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की और से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की और से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की और से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान स्वारा हो साम्य हो साम
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर दिनांक
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कृद द्वारा व्यक्तगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप-4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कृद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्टक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश गाण्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कृशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा (श्यान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (श्रीड़ा/खेल-कृद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान जिया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्टक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर विनांक नाम पद संस्था का नाम पद संस्था का नाम मुहर नोटः यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्टक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। APPENDIX-4 Plan of Examination There shall be three stages of Competitive Examination Viz. (1) Preliminary Examination (Objective and Multiple Choice Type)
श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान : हस्ताक्षर	स्थान हस्ताक्षर दिनांक

APPENDIX-5

Syllabus for U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Preliminary Examination

Paper-I Time-2 hours

GENERAL KNOWLEDGE

This paper may include questions based on topics relating to History of India and Indian Culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social relevance, India and the world, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology, Communications and Space.

The nature and standards of questions in this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.

Paper-II Time-2 hours MM-300 LAW

This paper will include day to day happenings around India and the world, particularly in Legal spheres, Acts and laws.

(i) Jurisprudence

(ii) International Organisations

MM-150

- (iii) Current International Affairs
- (iv) Indian Constitution
- (v) Transfer of Property Act
- (vi) Indian Evidence Act
- (vii) Indian Penal Code
- (viii) Civil Procedure Code
- (ix) Criminal Procedure Code
- (x) Law of Contract

Syllabus for U.P. Judicial Service Civil Judge

(Junior Division) Main Examination (Written Examination)

The Examination shall include the following Subjects:-

Paper No.:1 General Knowledge M.M.200

This paper may include questions based on topics relating to History of India and Indian Culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social relevance, India and the World, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology, Communications and Space.

The nature and standards of questions in this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.

Paper No.2 Language :-

This paper will be of 200 marks. It shall comprise four question as specified below:-

- (i) Essay to be written in English
- 60 marks

(ii) English Précis writing

60 marks

- (iii) Translation of passage from Hindi to English 40 marks
- (iv) Translation of Passage from English to Hindi 40 marks

Paper No. 3 Law-I (Substantive Law) :-

This paper will be of 200 marks. The question set will be restricted to the field covered by:- The law of contracts, the law of Partnership, the law concerning easements and torts, the Law relating to transfer of property including the principles of equity, specifically applicable thereto, the principal of Equity with special reference to the Law of trust and specific relief, Hindu Law and Mohammedan Law, and Constitutional Law. There shall be questions of 50 marks in relation to Constitutional Law alone.

Paper No.4 Law-II (Procedure and Evidence) :-

This paper will be of 200 marks.

Questions set will be restricted to the field covered by-the law of evidence, the Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The question set will relate mainly to practical matters such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witnesses the writing of judgment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

Paper No.5 Law-III (Penal ☐ Revenue and Local Laws) :-

This paper will be of 200 marks.

Questions set will be restricted to the field covered by-Indian Penal Code, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land reforms Act 1951, Uttar Pradesh, Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, Uttar Pradesh Municipalities Act, U.P. Panchayat Raj Act, U.P. Consolidation of Holding Act, 1953, Uttar Pradesh Urban (Planning and Development) Act 1973, together with rules framed under the aforesaid Acts.

Answer to the questions of Local Laws will be compulsory. Questions pertaining to Penal Law will be of 50 marks, whereas, that of Revenue and Local Laws will be of 150 marks.

6. Interview: The interview will be of 100 marks. The suitability of candidates for employment in the Uttar Pradesh Judicial Service will be tested with reference to his merit giving due regard to his ability character, personality and physique.

Clarification: The candidates will have a choice to answer General Knowledge and Law papers either in Hindi or in English.

Note: (i) The marks obtained in the interview will be added to the Marks obtained in the written papers and the candidates place will depend on the aggregate of both (ii) The Commission reserves the right to refuse to call for Interview any candidate who has not obtained such marks in the Law Papers as to justify such refusal.

Secretary